

प्रगति संस्थान, प्रतापगढ़, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

रजि. नं. 26 / चित्तौड़गढ़ / 2000-01

PAN - AAATP9765H / TDS No. - JDHP02237E

दिनांक : 25 / 5 / 2005

संशोधित नाम एवं संशोधित विधान नियमावली


संस्था का नाम :- प्रगति संस्थान


संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है-


अनुमोदन

1. चरित्र निर्माण।
2. बालक-बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार।
3. बालकों का सर्वांगिक विकास।
4. बालकों में सामाजिक चेतना का विकास।
5. शारीरिक व मानसिक विकास।
6. नैतिक दायित्व का निर्वाह।
7. प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबन्धित जानकारी एवं निर्वहन।
8. निःशक्त व्यक्तियों को समाज में समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी दिलाना।
9. महिला जागृति व सशक्तिकरण हेतु कार्य करना।
10. दृष्टिहीनों, मुकबधिरों, अस्थि-विकलांगों व मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करना।
11. उपभोक्ताओं जागरण कर उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
12. स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं तकनीक से संबन्धित विषयों की जानकारी देना, प्रदर्शनी, सेमीनार, और प्रचार माध्यमों द्वारा इनके उपयोग की जानकारी देना।
13. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्कूलों की स्थापना करना अथवा उनका संचालन करना।
14. विद्यालयों, स्कूलों, चिकित्सालयों, निकेतनों, होस्टलों, अनाथालयों, पितृहीन, शिशुगृहों, नर्सरियों, दुर्बल विधवाओं, वृद्ध आदि के लिए क्लब, संस्थाओं को स्थापित करा रख-रखाव करना व संचालन करना।
15. युवा बैरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार संबंधि सूचना, संप्रेषण, मार्गदर्शन प्रदान करना।
16. राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं को कुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराना।
17. युवा बैरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन कराना।
18. युवा बैरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
19. पर्यावरण स्वास्थ्य संवर्धन कार्य करना। शिक्षा व संस्कृति का प्रसार करना।
20. भारत व राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।
21. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।
22. पिड़ित एवं तिरस्कृत मानव की हर प्रकार से सेवा करना जो बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, राज्य, सम्प्रदाय, सामाजिक प्रतिष्ठा में भेदभाव किये बिना सेवा करना।
23. फूटपाती बच्चों (बाल श्रमिक) की शिक्षा, पुर्नवास हेतु अनाथालय स्थापित करना।
24. साक्षरता, बालविकास एवं महिला जागृति केन्द्र चलाना।
25. पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं क्षेत्रिय विकास की योजना बनाना।
26. विधवा एवं अशक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराना।
27. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा, ग्रामीण एवं शहरी गरीबी वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना तथा इनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणात्मक केन्द्र का संचालन एवं निर्देशन करना व विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन्हे लाभान्वित करना।
28. महिला अत्याचार के विरुद्ध जागरण अभियान चलाना तथा नारी उत्थान केन्द्र का संचालन करना।
29. ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना एवं कृषि विकास कराना।
30. जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन हेतु सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बनना।
31. परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित करना। वृद्धजनों की सहायता एवं देखभाल केन्द्र स्थापित करना।
32. प्राकृतिक आपदाओं, भूकम्प, बाढ़, अकाल के समय सेवा के लिए आगे आना एवं सहायता पहुँचाना।
33. स्वच्छता एवं सामाजिक वानिकी की जानकारी देना एवं हरितीमा तथा वृक्षारोपण कार्य करना।
34. नेत्र शिविर लगाना तथ नेत्रदान एवं रक्तदान हेतु लोगों को प्रेरित करना।
35. अन्य समस्त कार्य जो मानवता के लिए वांछनीय है करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


कोषाध्यक्ष


सचिव

प्रगति संस्थान प्रतापगढ़ (राज.)

प्रगति संस्थान प्रतापगढ़ (राज.)

प्रगति संस्थान प्रतापगढ़(राज.)